

ANSWER

आपक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,
प्रबन्धक,
आर०एन० इण्टरनेशनल स्कूल तिकुनियां
विकास क्षेत्र निवासन लखीमपुर-खीरी।


पत्रांक: 5036-43 / 2014-15 दिनांक 28 अगस्त, 2014


विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।


नमस्कार,
आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी आपके विद्यालय को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संमूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय कक्षा-1 में (या पश्चास्थिति) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा उसके पूरा हो जाने पर उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चत करेगा:
 - (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:शक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किरायाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।


26/08/14
R.N.D.
SCHOOL, T.L.


26.02.16
PRINCIPAL
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Naraingarh, Pratappgarh (U.P.)
Pin - 230144


26/8/2014
D. Mahesh
Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Naraingarh, Pratappgarh (U.P.)
Pin - 230144


26.08.14

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ न चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय की सांसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सांसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति या समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए न चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (02) 2014 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करने के लिए जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
16. सांसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.5.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(Signature)

डा० (ओ०पी०राय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

पृ० १० व दिनांक तदैव।

प्रतिरिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) खण्ड मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यलय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी